# न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी कमांक 259–एक/2011 –विरूद्ध आदेश दि. 28.10.2010 पारित व्दारा आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर – प्रकरण कमांक 12 अ–19/ 2008–09

श्रीमती राधा देवी पत्नि हरीशकुमार
निवासी जोधाराम भवन
रावर्ट लायन,माधवनगर कटनी ---आवेदक

विरूद्ध

1– अपर आयुक्त, जबलपुर
2– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर कटनी
3– अनुविभागीय अधिकारी कटनी
4– पटवारी ह0नं0 30ग्राम बोहता जिला कटनी
5– नायव तहसीलदार मुड़वारा व्लाक कटनी ---अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुशील मिश्रा)
(अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं)

आ दे श
(आज दिनांक 5 –10–2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 427 अ–19/ 2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–10–2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि यह कि आवेदक ने कलेक्टर कटनी के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि ग्राम मझगवॉ स्थित भूमि सर्वे कमांक 3/2 रकबा 2.70 हैक्टर एंव सर्वे नंबर 3/3 रकबा 2.30 भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) ,

पटटे के आधार पर कृषि करने हेतु आवंटित की जावे। कलेक्टर कटनी ने प्रकरण क्रमांक 12 अ-19/08-09 पंजीबद्ध किया एंव आवेदक के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच नायव तहसीलदार गुड़वारा से एंव अनुविभागीय अधिकारी कटनी से कराई। जांचोपरांत आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 14.5.09 पारित किया एंव आवेदक का आवेदन खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 427 अ-19/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-10-2010 द्वारा अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक व्दारा वादग्रस्त भूमि की कृषि कार्य हेतु पटटे पर देने मांग की गई है। कलेक्टर कटनी ने आवेदक के आवेदन की जांच नायव तहसीलदार से कराई है नायव तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन दिनांक 6.5.09 प्रस्तुत कर बताया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम हलका पटवारी ने भूमि उबड़-खाबड़ एंव मुरमीली बताई है । कलेक्टर कटनी ने आवेदक की सुनवाई कर वर्तमान मे भूमि बन्टन पर रोक लगी होने के कारण पटटे पर न देने का निर्णय लिया एंव आवेदक का आवेदन खारिज किया है। जब भूमि बन्टन पर म0प्र0शासन व्दारा रोक लगाई

गई है भूमि बन्टन नहीं की जा सकती और इन्हीं कारणों से आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 427 अ-19/ 2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-10-2010 से कलेक्टर के आदेश दिनांक 14.5.09 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अमान्य की जाती है। परिणामतः आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 427 अ-19/ 2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-10-2010 स्थिर रखा जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर